(GCMS 2021/19)
दायर दिनांक 12.10.2021
निर्णय दिनांक :- 27.0.2024

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 01/2021 (GCMS 2021/19)

प्रकरण दायर दिनांक :- 12.10.2021

विकास पुत्र हरिनारायण जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा।

(अपीलान्ट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत लवाण जरिए सरपंच लवाण जिला दौसा।

(रेस्पोडेन्ट्स)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956
बाबत नामान्तकरण संख्या-1240 दिनांक 05.09.2013 ग्राम पंचायत लवाण
तहसील लवाण जिला दौसा

उपस्थित:- श्री मनीष कुमार तिवाडी एडवोकेट अपीलान्ट

:: निर्णय :: दिनांक : 27.05.2024

अपीलान्ट की ओर से अपील इस आशय की पेश की आराजी खसरा नम्बर 2598, 2613, 2690, 2708, 2827, 2841, 2842 कुल किता- 7 कुल रकबा 2.92 हैक्टयर वाके ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा मुताबिक जमाबंदी संवत इन्द्रराज सिंह पुत्र हरिनारायण एवं रामप्रताप पुत्र गणेश के नाम दर्ज रिकोर्ड है। दिनांक 26.08.2013 को एक हक त्याग उप पंजीयक लवाण के यहां तस्दीक हुआ। जिसके द्वारा सुन्दरी पुत्री गणेश भागा पत्नि हरिनाराण कंचन, बर्फी पुत्रिया हरिनारायण जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा ने डुंगर सिंह उर्फ विकास

उप जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.06.19 14:13:25 IST
Reason: SelfAttested

व सुन्दरी पुत्रीगणेश हिस्सा 1/3 का नाम स्वीकार किया था व जमा

ना०बा० पुत्र हरिनारायण के पक्ष में हक त्याग पंजीबद्ध कराया। परन्तु उक्त हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 05.09.2013 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। जिसमें डूंगरसिंह इन्द्राज पिसरान हरिनारायण दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलाण्ट वास्तविक नाम विकास पुत्र हरिनारायण है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 05.09.2013 निरस्त कर पत्रावली ग्राम पंचायत लवाण को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जावे कि उक्त नामान्तरकरण में दर्ज डूंगरसिंह उर्फ विकास पुत्र हरिनारायण या विकास पुत्र हरिनारायण अंकित कर नामान्तरकरण पुनः तस्दीक करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट 1. तहसीलदार लवाण एवमं रेस्पोडेन्ट 2. ग्राम पंचायत लवाण ने जवाब पेश किया जिसे शामील मिसल किया अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नामान्तरकरण 1240, हकत्याग पत्र दिनांक 05.09.2013 एवम वोटर आई.डी., राशनकार्ड पेश किये। जिसे शामिल मिसल किया गया।

पहचान पत्र,राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में भी अपीलाण्ट का नाम विकास पुत्र हरिनारायण दर्ज है। डूंगर सिंह तो अपीलाण्ट का लाड प्यार का नाम है तथा डूंगर सिंह व विकास एक ही व्यक्ति का नाम है। वक्त नामान्तरकरण हकत्याग अपीलाण्ट और अपीलाण्ट का भाई नाबालिग था।

तहसीलदार लवाण ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि हकत्याग पत्र दिनांक 26.08.2013में अपीलाण्ट का नाम डूंगर सिंह उर्फ विकास दर्ज है। नामान्तरकरण सख्या 1240 के कॉलम संख्या 7 में जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि दर्ज की जाती है। विरासत में डूंगर सिंह का नाम दर्ज था। इसलिए जमाबंदी में डूंगर सिंह के साथ उर्फ विकास दर्ज नही हो सका। सभी राजकीय दस्तावेजो यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में अपीलाण्ट का नाम विकास पुत्र हरिनारायण दर्ज है। डूंगर सिंह और विकास दोनो एक ही व्यक्ति है। सरपंच ग्राम पंचायत लवाण एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लवाण ने नामान्तरकरण संख्या 240 को सर्वसम्मति से स्वीकार करने की बात अपने जवाब में कही उसके समर्थन में कार्यवाही विवरण रजिस्टर की छाया प्रति भिजवाई गई। जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि डूंगर सिंह पुत्र हरिनारायण एवं विकास पुत्र हरिनारायण एक ही व्यक्ति है एवं [illegible] डूंगर सिंह पुत्र हरिनारायण को दुरूस्त किया जाना विधि सं[illegible]

उप [illegible]
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.06.19 14:13:25 IST
Reason: SelfAttested

प्र.स.:- 01/2021
(GCMS 2021/19)
दायर दिनांक 12.10.2021
निर्णय दिनांक :- 27.0.2024

आदेश

अतः नामान्तरकरण संख्या 1240 दिनांक 05.09.2013 ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लवाण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रेषित प्रकरण की संलग्न दस्तावेजो के आलोक में जाँच कर निमयानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण
उप जिला कलक्टर
लवाण

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया जाकर न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गयो।

उपखण्ड अधिकारी
लवाण
उप जिला कल
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.06.19 14:13:25 IST
Reason: SelfAttested